

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

धारा 482 के अंतर्गत प्रार्थनापत्र संख्या – 5969/2024

अतुल तिवारी एवं 4 अन्य

...प्रार्थी (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, गृह विभाग, लखनऊ एवं एक अन्य

...विरोधी पक्षकार(गण)

प्रार्थी (गण) के अधिवक्ता: – रमा रमण मिश्रा

विरोधी पक्षकार (गण) के अधिवक्ता :- शासकीय अधिवक्ता, अखंड प्रताप सिंह, कुलदीप पाण्डेय

न्यायालय संख्या 15

माननीय न्यायमूर्ति बृज राज सिंह

1. सर्वप्रथम, यह सूचित किया गया है कि प्रार्थनापत्र के लंबित रहने के दौरान प्रार्थी संख्या 4/हनुमान बली तिवारी की मृत्यु हो गई है।
2. तदनुसार, जहाँ तक प्रार्थी संख्या 4 का संबंध है, यह प्रार्थनापत्र उपशमित होने के कारण खारिज किया जाता है।
3. प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि वह पति, अर्थात् प्रार्थी संख्या 1-अतुल तिवारी की ओर से इस प्रार्थनापत्र पर बल नहीं देना चाहते हैं।
4. तदनुसार, पति अर्थात् प्रार्थी संख्या 1-हनुमान शंकर सिंह की ओर से यह प्रार्थनापत्र बल न दिए जाने के आधार पर खारिज किया जाता है।
5. मध्यस्थता केंद्र की रिपोर्ट दिनांक 16.12.2024 के अनुसार, पक्षों के मध्य मध्यस्थता सफल नहीं रही है। अतः, यह न्यायालय गुण-दोष के आधार पर प्रार्थनापत्र की सुनवाई और निर्णय करने हेतु अग्रसर है।
6. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत यह याचिका आदेश दिनांक 23.02.2024 के साथ-साथ गैर-जमानती वारंट दिनांक 21.06.2024 को चुनौती देने हेतु दायर की गई है, जो धारा 190 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत परिवाद मामला संख्या 2295 वर्ष 2024 (नैन्शी बनाम अतुल तिवारी व अन्य) से उद्भूत है एवं जो अपर सिविल जज

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(प्रवर खंड)-IV, अयोध्या/फैजाबाद के न्यायालय में लंबित है। विवादित समन आदेश दिनांक 23.02.2024 द्वारा प्रार्थीगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 498क, 323 और दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 34 के अंतर्गत अपराधों हेतु विचारण का सामना करने के लिए तलब किया गया है।

7. प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि प्रार्थी संख्या 2 और 3 क्रमशः विपक्षी संख्या 2 के ससुर और सास हैं, जबकि प्रार्थी संख्या 4 विपक्षी संख्या 2 की दादी-सास हैं।

8. आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि परिवादिनी/नैन्सी पांडेय और उनके चाचा कृष्णानंद पांडेय द्वारा क्रमशः धारा 200 और 202 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत बयानों के परिशीलन से स्पष्ट होता है कि दहेज की मांग के सामान्य आरोप लगाए गए हैं। यह भी कहा गया है कि परिवादिनी द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि प्रार्थीगण ने अतिरिक्त दहेज के रूप में 'ऑल्टो' कार की मांग की थी। यही कथन कृष्णानंद पांडेय द्वारा धारा 202 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दोहराया गया है।

9. यह कथन भी प्रस्तुत किया गया है कि विपक्षी संख्या 2/परिवादिनी अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती है और प्रार्थी संख्या 2 से 5 को झूठा फँसाया गया है। प्रार्थी संख्या 2 से 5 को मात्र इस कारण संलिप्त किया गया है क्योंकि वे उसके पति के रिश्तेदार हैं।

10. अपने तर्कों की पुष्टि हेतु उन्होंने निम्नलिखित निर्णयों का आश्रय लिया है:

क. गीता मेहरोत्रा एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, (2012) 10 एससीसी 741;

ख. कहकशां कौसर बनाम बिहार राज्य, (2022) 6 एससीसी 599;

ग. कैलाशबेन महेन्द्रभाई पटेल एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य, 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 2621;

घ. बेलिदे स्वागत कुमार बनाम तेलंगाना राज्य, 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 2890।

11. दूसरी ओर, विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने यह कथन प्रस्तुत किया है कि पक्षकारों के बीच मध्यस्थता विफल हो गई है और प्रार्थी संख्या 2 से 5 विपक्षी संख्या 2/परिवादिनी के पति के परिवार के सदस्य हैं और उन्होंने अपराध किया है।

12. यह भी कहा गया है कि विपक्षी संख्या 2/परिवादिनी को पति और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया था और उनके द्वारा एक 'ऑल्टो' कार के रूप में अतिरिक्त दहेज की मांग की गई थी।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

13. यह भी कहा गया है कि धारा 200 और 202 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत बयानों के परिशीलन से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी संख्या 2 से 5 के विरुद्ध अपराध बनता है। अतः प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने योग्य है।
14. मैंने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता, राज्य हेतु विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता और विपक्षी संख्या 2 हेतु विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना है।
15. **गीता मेहरोत्रा एवं एक अन्य (उपरोक्त)** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने पति के संबंधियों से संबंधित वाद के वर्तमान पक्ष पर विचार किया है, जिसमें यह टिप्पणी की गई है कि यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट अपने वर्तमान स्वरूप में आरोपी के विरुद्ध किसी विशिष्ट आरोप को प्रकट नहीं करती है, जो वैवाहिक कलह से उत्पन्न वाद है, तो नामित अभियुक्तों को यांत्रिक रूप से विचारण के लिए भेजना विधिक और न्यायिक प्रक्रिया का स्पष्ट दुरुपयोग होगा। प्रासंगिक प्रस्तर अधोउद्धृत है: -

25. हालाँकि, हम सावधानी बरतते हुए यह भी कहना उचित समझते हैं कि यदि हम यह निष्कर्ष प्राप्त करते हैं तो हमें गलत न समझा जाए कि यदि प्राथमिकी में नामित परिवार के सदस्यों की मिलीभगत को दर्शाने वाले प्रत्यक्ष कृत्य के आरोप भी हैं, तो भी संज्ञान लेना अनुचित होगा, लेकिन हम जिस बात पर बल देना चाहते हैं, वह यह है कि यदि प्राथमिकी में आरोपी के विरुद्ध विशिष्ट आरोप नहीं हैं, विशेष रूप से सह-आरोपी के विरुद्ध, विशेषकर वैवाहिक कलह से उत्पन्न मामले में, तो प्राथमिकी में नामित आरोपी को यांत्रिक रूप से मुकदमे का सामना करने के लिये निर्देशित करना विधिक एवं न्यायिक प्रक्रिया का स्पष्ट दुरुपयोग होगा, जब तक कि निश्चित रूप से प्राथमिकी में विशिष्ट आरोप नहीं हैं जो न्यायालय को मुख्य आरोपी के उन संबंधियों के विरुद्ध अभिकथित अपराध का संज्ञान लेने के लिए सहमत करेंगे, जो प्रथम दृष्टया शिकायतकर्ता पत्नी को शारीरिक और मानसिक यातना देने में लिप्त नहीं पाए जाते हैं। यह स्थापित सिद्धांत है, जिसे असंख्य मामलों में प्रतिपादित किया गया है कि यदि प्राथमिकी में किसी अपराध का खुलासा नहीं होता है, तो न्यायालय विधिक प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए कार्यवाही को रद्द करने में उचित होगी। साथ ही, न्यायालयों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे रद्द करने के मामलों में सतर्क दृष्टिकोण अपनाएं, विशेष रूप से वैवाहिक विवादों के मामलों में, क्या प्राथमिकी वास्तव में प्रमुख आरोपी के सम्बन्धियों द्वारा अपराध कारित करने का खुलासा करती है या प्राथमिकी प्रथम दृष्टया शिकायतकर्ता के कहने पर आरोपी के पूरे परिवार को संलिप्त करके अति-संलिप्तता का मामला दर्शाती है, जो अपने नए वैवाहिक परिवेश में बसने के दौरान प्रारंभिक समस्या या घरेलू कलह से उत्पन्न अपना हिसाब बराबर करने निकली है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

26. वर्तमान मामले में, जब मुख्य आरोपी श्यामजी मेहरोत्रा के भाई और अविवाहित बहन ने अन्य बातों के साथ-साथ क्षेत्रीय अधिकारिता की कमी के आधार पर और इस आधार पर कि उनके विरुद्ध धारा 498-क/323/504/506 भारतीय दंड संहिता सहित दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अंतर्गत कोई मामला नहीं बनता है, उनके विरुद्ध कार्यवाही को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, तब उच्च न्यायालय का यह विधिक कर्तव्य था कि वह क्षेत्रीय अधिकारिता के प्रश्न के अतिरिक्त यह परीक्षण करता कि क्या अपीलकर्ताओं के विरुद्ध प्रथम दृष्टया सामग्री उपलब्ध है ताकि उन्हें मुकदमे का सामना करने का निर्देश दिया जा सके। ऐसा प्रतीत होता है उच्च न्यायालय ने प्रस्तुत किये गए सभी तर्कों को अनदेखा कर दिया और क्षेत्रीय अधिकारिता के एकमात्र आधार पर याचिका को खारिज कर दिया, साथ ही अपीलकर्ताओं को विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने की स्वतंत्रता दे दी।

16. कहकशां कौसर (उपरोक्त) में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि पति के संबंधियों को मात्र सामान्य और बहुप्रयोजनीय आरोपों के आधार पर नहीं संलिप्त किया जाना चाहिए, जब तक कि अपराध में उनकी संलिप्तता के विशिष्ट दृष्टांत न प्रस्तुत किये गए हों।

"16. हाल ही में, के. सुब्बा राव बनाम तेलंगाना राज्य, (2018) 14 एससीसी 452 (2019) 1 एससीसी (क्रि.) 605] में भी यह टिप्पणी की गई थी : (एससीसी पृ. 454, पैरा 6)

"6. ... वैवाहिक विवादों और दहेज हत्या से संबंधित अपराधों में दूर के संबंधियों के विरुद्ध कार्यवाही करने में न्यायालयों को सावधान रहना चाहिए। पति के संबंधियों को बहुप्रयोजनीय आरोपों के आधार पर संलिप्त नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि अपराध में उनकी संलिप्तता के विशिष्ट दृष्टांत न प्रस्तुत किये गए हों।"

17. उपरोक्त निर्णय स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि इस न्यायालय ने कई अवसरों पर शिकायतकर्ता और अभियुक्तों पर विचारण के दीर्घकालिक परिणामों का विश्लेषण किए बिना धारा 498-क भारतीय दंड संहिता के दुरुपयोग और वैवाहिक विवादों में पति के संबंधियों को संलिप्त करने की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त की है। उक्त निर्णयों से यह भी स्पष्ट होता है कि वैवाहिक विवाद के दौरान अभिकथित सामान्य बहुप्रयोजनीय आरोपों के माध्यम से झूठा फंसाने की प्रवृत्ति पर यदि अंकुश नहीं लगाया गया तो यह विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। इसलिए, इस न्यायालय ने अपने निर्णयों द्वारा न्यायालयों

को पति के संबंधियों और ससुराल वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने से आगाह किया है, जब उनके विरुद्ध प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता है।

18. इस मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए, दिनांक 1-4-2019 की प्राथमिकी की अंतर्वस्तु के परिशीलन से यह ज्ञात होता है कि अपीलकर्ताओं के विरुद्ध सामान्य आरोप लगाए गए हैं। शिकायतकर्ता ने यह आरोप लगाया कि "सभी अभियुक्तों ने उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया और उसका गर्भपात कराने की धमकी दी"। इसके अतिरिक्त, यहाँ अपीलकर्ताओं में से किसी के भी विरुद्ध कोई विशिष्ट और भिन्न आरोप नहीं लगाए गए हैं, अर्थात् किसी भी अपीलकर्ता को उसके विरुद्ध लगाए गए सामान्य आरोपों के अग्रसारण में कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई है। यह मात्र ऐसी स्थिति इंगित करता है जिसमें अपराध के अग्रसारण में प्रत्येक अभियुक्त द्वारा निभाई गई भूमिका का पता नहीं लगाया जा सकता है। इसलिए, आरोप सामान्य और बहुप्रयोजनीय हैं और अधिक से अधिक छोटी-मोटी झड़पों के कारण अभिकथित किये गए कहे जा सकते हैं। जहाँ तक पति का संबंध है, चूंकि उसने उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध अपील नहीं की है, अतः हमने उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों की सत्यता का परीक्षण नहीं किया है। हालांकि, जहाँ तक अपीलकर्ताओं का संबंध है, उनके विरुद्ध लगाए गए आरोप सामान्य और बहुप्रयोजनीय होने के कारण, अभियोजन योग्य नहीं हैं।"

17. कैलाशबेन महेंद्रभाई पटेल (उपरोक्त) में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नवत टिप्पणी की: -

"14. एक महत्वपूर्ण घटना जो हमें यह स्पष्ट प्रभाव देती है कि आपराधिक कार्यवाही मात्र अपीलकर्ताओं के उत्पीड़न के लिए दुर्भावनापूर्ण आशय से संस्थित की गई थी और घरेलू हिंसा वाद दायर किया गया था। दिनांक 27.02.2013 को दीवानी मामला और उसके बाद यह आपराधिक शिकायत/प्राथमिकी दर्ज करने के बाद, प्रतिवादी संख्या 2 ने दिनांक 06.04.2013 को समान आरोपों के आधार पर घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत एक शिकायत दर्ज की। घरेलू हिंसा की शिकायत उन्हीं वस्तुओं, एक स्कॉर्पियो कार, टीवी, फ्रिज, डीवीडी टेप, चांदी की वस्तुओं, 100 से 150 तोला सोना और 5 लाख रुपये नकद दहेज के रूप में संदर्भित करती है। पुनः, यह आरोप है कि अभियुक्तों ने यह धमकी दी है कि उसे संपत्ति में भाग नहीं मिलेगा क्योंकि उसने एक लड़की को जन्म दिया है। अपीलकर्ता संख्या 2 के साथ-साथ मुनीम, अपीलकर्ता संख्या 4 के विरुद्ध भी इसी प्रकार के आरोप हैं। घरेलू हिंसा की शिकायत पर विचारण हुआ और न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, जालना के दिनांक 16.01.2019 के विस्तृत निर्णय के साथ यह समाप्त हुआ। हमें सूचित किया

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

गया है कि निर्णय और आदेश अंतिम हो गया है क्योंकि उक्त आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं की गई थी।

घरेलू हिंसा के वाद को खारिज करते समय, विद्वान न्यायाधीश ने निम्नवत टिप्पणी की :

"19. प्रतिपरीक्षा के दौरान, प्रार्थिनी ने यह स्वीकार किया कि उसके और प्रतिवादियों के बीच संपत्ति का विवाद चल रहा है। पुनः, उसने स्वेच्छा से कहा कि संपत्ति का विवाद उसके पति और सास-ससुर के बीच लंबित है। इसके अतिरिक्त प्रार्थिनी ने विशेष रूप से साक्ष्य प्रस्तुत किया है कि जहां कहीं भी प्रतिवादियों, उसके और उसके पति के नाम पर संयुक्त बैंक खाते हैं, ऐसे मामलों में प्रतिवादियों को उक्त खातों के संचालन से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए और उसे उक्त खातों को संचालित करने की अनुमति दी जानी चाहिए। यह भी प्रतीत होता है कि प्रार्थिनी के परिवार को उसी स्तर का आवास प्रदान किया जाना चाहिए जैसा प्रतिवादियों के पास है।

20. उपरोक्त मौखिक साक्ष्य और स्वीकारोक्ति स्पष्ट रूप से सुझाव दे रही है कि प्रार्थिनी ने यह प्रार्थनापत्र अपने पति के कहने पर और संपत्ति हड़पने के गुप्त उद्देश्य से प्रस्तुत किया है जिसका पति अन्य विधिक प्रावधानों के अंतर्गत अधिकारी हो सकता है। प्रार्थनापत्र में प्रयुक्त शब्द प्रार्थिनी के स्वार्थी स्वभाव को प्रकट करते हैं। अतः, दी गई परिस्थितियों में, मेरी राय है कि पुष्टि के बिना प्रार्थिनी के एकमात्र साक्ष्य पर विश्वास करना असुरक्षित होगा।

21. ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थिनी ने अपने उक्त मौखिक साक्ष्य के समर्थन में कोई अन्य ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, यह प्रतीत होता है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 498क के अंतर्गत दायर मुकदमा आरसीसी संख्या 376/2014 अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। ऐसा कोई अभिलेख नहीं है जो यह दर्शाता हो कि प्रतिवादियों को उस मामले में आज तक दोषी ठहराया गया है। इसका अर्थ है कि उक्त आरोप अभी तक सिद्ध नहीं हुए हैं और पुष्टि के उद्देश्य के लिए उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंच रहा हूँ कि घरेलू हिंसा के संबंध में कोई ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है और तदनुसार मैं बिंदु संख्या 1 पर अपना निष्कर्ष "नहीं" के रूप में दर्ज करता हूँ।"

18. दहेज की मांग और उत्पीड़न के वाद में, हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल 1992 Supp(1) SCC 335 वाद के विभिन्न तथ्यों और पारित निर्णय पर विचार करने के बाद माननीय उच्चतम न्यायालय ने बेलिदे स्वागत कुमार (उपरोक्त) के पैरा 24 एवं 26 में दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत अपराध के विभिन्न पक्षों पर विचार किया है और प्रथम सूचना

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

रिपोर्ट संख्या 29/ 2022 दिनांक 27.01.2022 से उद्धृत भारतीय दंड संहिता की धारा 498 क के अंतर्गत कार्यवाही को निरस्त कर दिया है। प्रासंगिक प्रस्तर निम्नवत उद्धृत हैं: -

24. प्राथमिकी का सामान्य परिशीलन यह दर्शित करता है कि शिकायतकर्ता-प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा लगाए गए आरोप अस्पष्ट और बहुप्रयोजनीय हैं। यह दावा करने के अतिरिक्त कि पति और उसके परिवार ने अपीलकर्ता-अभियुक्त के साथ मिलकर दहेज की मांग के करते हुए उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। शिकायतकर्ता-प्रतिवादी संख्या 2 ने उत्पीड़न का कोई विशिष्ट विवरण या किसी विशेष दृष्टांत का वर्णन नहीं किया है। हालांकि उसने आरोप लगाया है कि अभियुक्त-अपीलकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा कुल एक करोड़ रुपये की राशि की मांग की गई थी, शिकायतकर्ता-प्रतिवादी संख्या 2 इसी आरोप का स्पष्टीकरण अथवा पुष्टि करने के लिए अभिलेख पर कोई साक्ष्य या सामग्री प्रस्तुत करने में विफल रही है। इसके अतिरिक्त, शिकायतकर्ता-प्रतिवादी संख्या 2 न्यायालय के समक्ष यह स्पष्ट करने में विफल रही है कि उक्त कथित उत्पीड़न ने उसे किस प्रकार की मानसिक या शारीरिक चोट पहुँचाई है। अभियुक्त-अपीलकर्ता के लिए ऐसा कोई दूरस्थ या निकटस्थ कार्य या लोप नहीं बताया गया है जो उसे संलिप्त करता हो या उक्त प्राथमिकी में भारतीय दंड संहिता की धारा 498क के अपराध के लिए उसे कोई विशिष्ट भूमिका प्रदान करता हो। मात्र यह कहना कि अभियुक्त-अपीलकर्ता ने दहेज की मांग के संबंध में शिकायतकर्ता-प्रतिवादी संख्या 2 को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है, भारतीय दंड संहिता की धारा 498क के तत्वों को संतुष्ट नहीं करता है, विशेष रूप से उक्त आरोपों की पुष्टि करने के लिए अभिलेख पर किसी ठोस सामग्री या साक्ष्य की अनुपस्थिति में। विशिष्ट उदाहरणों के अभाव में "क्रूरता" स्थापित नहीं की जा सकती। किसी भी विशिष्ट विवरण का उल्लेख किए बिना इन धाराओं को लागू करने की प्रवृत्ति, अभियोजन वाद को कमजोर करती है और शिकायतकर्ता के कथन की व्यवहार्यता पर गंभीर संदेह उत्पन्न करती है। इसलिए, यह न्यायालय एक प्राथमिकी में लुप्त विवरणों की अनदेखी नहीं कर सकता जो राज्य के आपराधिक तंत्र को लागू करने का आधार है। क्रूरता और उत्पीड़न के आरोपों वाले ऐसे मामलों में सामान्य रूप से अपमानजनक कृत्यों की एक श्रृंखला होगी, जिसे शिकायतकर्ता द्वारा अपराधियों के विरुद्ध विशिष्ट शब्दों में वर्णित किया जाना आवश्यक होगा ताकि उन्हें उन आपराधिक कार्यवाहियों में संलिप्त किया जा सके जिन्हें उनके विरुद्ध प्रारंभ करने की

मांग की गई है और इसलिए ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध विवरण बताए बिना उत्पीड़न के मात्र सामान्य आरोप लगा देना आपराधिक कार्यवाही जारी रखने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।

26. उपर्युक्त न्यायिक सिद्धांतों पर सावधानीपूर्वक विचार करने पर, हम यह पाते हैं कि अभियुक्त-अपीलकर्ता के विरुद्ध कथित अपराधों में से कोई भी अपराध नहीं बनता है। वास्तव में, हम यह पाते हैं कि यहाँ अभियुक्त-अपीलकर्ता के विरुद्ध क्रूरता, मानसिक उत्पीड़न और जानबूझकर चोट पहुँचाने के आरोप दुर्भावनापूर्ण आशय से अस्पष्ट और सामान्य आरोप लगाए गए हैं और इसलिए, भजन लाल के मामले में इस न्यायालय का निर्णय और विशेष रूप से ऊपर उद्धृत प्रस्तर 102 के उप-प्रस्तर (1) और (7), इन मामलों के तथ्यों पर सटीक रूप से लागू होते हैं। प्राथमिकी और परिणामी परिवाद मामला संख्या 1067/2022 से उद्धृत वर्तमान अभियोजन को जारी रहने देना न तो उचित है और न ही न्याय के हित में है।"

19. अभिलेख के अध्ययन के बाद, मैं यह पाता हूँ कि विपक्षी संख्या 2/शिकायतकर्ता के दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के अंतर्गत बयान में यह सामान्य आरोप लगाया गया है जिसमें उसने कहा है कि प्रार्थीगण द्वारा एक ऑल्टो कार की मांग की गई थी। प्रार्थी संख्या 2, 3 और 5 शिकायतकर्ता के ससुराल वाले हैं और यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि पति, जिसने पहले ही अपने मामले में आगे कार्यवाही नहीं की है और मुकदमे का सामना करना चाहता है, प्रार्थी संख्या 2, 3 और 5 को मुकदमे का सामना करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता क्योंकि शिकायत के मात्र सामान्य परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी संख्या 2, 3 और 5 के विरुद्ध सामान्य आरोप है; और इन प्रार्थीगण का वाद गीता मेहरोत्रा और अन्य (उपरोक्त), कहकशां कौसर बनाम बिहार राज्य, (उपरोक्त), कैलाशबेन महेंद्रभाई पटेल (उपरोक्त) और बेलिदे स्वागत कुमार (उपरोक्त) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों द्वारा पूर्ण रूप से आच्छादित है।

20. उपरोक्त चर्चा के दृष्टिगत, प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। परिवाद मामला संख्या 2295/2024 की संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही, जिसका विवरण पैरा 4 में है, प्रार्थीगण राजीव तिवारी, सुशीला देवी और गायत्री देवी के संबंध में रद्द की जाती है।

(न्यायमूर्ति बृजराज सिंह)

30 मार्च, 2026

एकेएस